



2026:AHC:8360

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 40608 / 2025

कुलदीप पांडेय

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: नूर मोहम्मद, योगेश कुमार श्रीवास्तव

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री याज्ञवल्क पांडे को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

यह जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत अभियुक्त-आवेदक कुलदीप पांडेय की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि मुकदमा अपराध संख्या 641 वर्ष 2022, धारा 147, 148, 323, 332, 333, 353, 504, 506, 336, 427, 188 भारतीय दंड संहिता तथा धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम एवं धारा 3/5 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, थाना कासगंज, जनपद कासगंज में विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है तथा वह दिनांक 13.09.2025 से जेल में निरुद्ध है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त विककी ठाकुर @ शरद चौहान को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 42819 वर्ष 2025 में दिनांक 11.12.2025 को जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक के विरुद्ध 37 मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसका समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है, तथा जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत दिए जाने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि समान परिस्थितियों वाले उपरोक्त सह-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, साक्षियों को प्रभावित किए जाने की आशंका तथा प्रथम दृष्टया मामले को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक **कुलदीप पांडेय**, को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में, व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों को दबाव में नहीं लेगा/धमकाएगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसके व्यक्तिगत उपस्थित होने से अधिवक्ता के माध्यम से छूट न दी जाए।

उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(अशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

दिनांक : 13 जनवरी, 2026

दीपक/